

सहायक अभियन्ता,
गोरखपुर विकास प्राधिकरण,
गोरखपुर।

विषय:-

प्लॉट/खसरा नं०-1019, 1020, 1021/1, 1021/2, 1022 mi, 1022/1ka, 1022/2, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1033, 1034, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046/2, 1047, 1133, 1134mi, 1135ka, 1137, 1139, 1140, 1141mi, 1141ka, 1142mi, 1142ka, 1143mi, 1143/1, 1143/2ka, 1144, 1145, 1145/1, 1150/2, 1151, 1154, 1154/1, 1154/2, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1162mi, 1163, 1166, 1167, 1174, 1175, 1193/1, 1193/2, 1194/1, 1194/2, 1195/1, 1195/2, 1196ka, 1197, 1198, 1198/2, 1201, 1202, 1203 तालरामगढ़(देवरिया बाईपास रोड) पर ग्रुप हाउसिंग का मानचित्र संख्या-349/2015 जिला-गोरखपुर में प्रस्तावित मैसस-एसप्रा लाईफ स्पेशस, द्वारा निदेशक, श्री अनूप सराफ व अन्य गांधी गली गोलघर गोरखपुर के प्रस्तावित भवन की प्रोजेक्शनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में:-

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक गोरखपुर विकास प्राधिकरण गोरखपुर के पत्र संख्या-382/मानअनु0/गोवि0प्रा0/2014-15 दिनांक-27.03.2015 के माध्यम से उक्त प्रश्नगत प्रस्तावित भवन की अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उक्त प्रश्नगत प्रस्तावित भवन के मानचित्रों में प्रस्तावित अग्निशमन व्यवस्थाओं एवं अभिलेखों का परीक्षण उपनिदेशक, फायर सर्विस गोरखपुर, जोन गोरखपुर द्वारा किया गया है। आख्या दिनांक-25/04/2015 सुसंगत मानकों के अनुसार परीशीलन किया गया, जिसका विवरण निम्नवत है।

भवन की संरचना

1-कुल भूखण्ड एरिया-107467.60 वर्ग मीटर

1-निर्मित भूतल कवर्ड एरिया-4173.83 वर्ग मीटर

2-प्रथम तल से उपरी तलों का टिपिकल कवर्ड एरिया-57193.08 वर्ग मीटर(प्रत्येक तलवार विवरण

अ-प्रथम तल आच्छादित एरिया-3615.68 वर्गमीटर

ब-द्वितीय तल से तेरह तल तक प्रत्येक तल का आच्छादित एरिया-4173.83 वर्गमीटर

स-चौदहवें तल का आच्छादित एरिया-3491.44 वर्गमीटर

3-बेसमेन्ट प्रथम का कवर्ड एरिया-12429.33 वर्ग मीटर

4-बेसमेन्ट द्वितीय का कवर्ड एरिया-शून्य वर्ग मीटर

5-बेसमेन्ट तृतीय का कवर्ड एरिया-शून्य वर्ग मीटर

6-भवन की उचाई-42.08 मीटर है।

भवन का अधिभोग एवं हैजार्ड श्रेणी -प्रश्नगत भवन का अधिभोग एन0बी0सी0 की श्रेणी-A4 के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

(आवासीय भवन होने पर उसमें प्रयुक्त मैटीरियल टाइप-प्रथम)

ढाँचागत व्यवस्था:-

1-पहुँच मार्ग:-भूखण्ड के सामने मानचित्रों में-24.00 मीटर रोड की चौड़ाई है।

2-प्रवेश द्वारा की चौड़ाई:-7.00 मीटर जो मानक के अनुसार है।

3-सैटबैक:-प्रस्तावित भवन का सैटबैक निम्नवत है:- (नोट-प्रस्तावित भवन 05 ब्लॉकों में प्रस्तावित है तथा प्रत्येक ब्लॉक एक-दूसरे से 13 मीटर की दूरी पर प्रस्तावित है, जो मानक के अनुसार है)

ए0-अग्रभाग-13.00 मीटर

बी0-पृष्ठभाग-13.00 मीटर

सी0-पार्श्वभाग प्रथम-13.00 मीटर

डी0-पार्श्वभाग द्वितीय-13.00 मीटर है।

उपरोक्तानुसार भवन के सैटबैक भवन नियमावली के अनुसार सैटबैक सदैव अवरोधमुक्त रखे जायेंगे। सैटबैक में किसी प्रकार का स्थायी/अस्थायी निर्माण कार्य मान्य नहीं होगा।

4-निकास मार्ग:-प्रस्तावित भवन में-02 स्टेयर जिनकी चौड़ाई 2 एवं 1.25 मीटर का प्राविधान किया गया है, जिनकी फ्लोर की समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेन्स अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है।

5-रिफ्यूज एरिया का विवरण:-एन0बी0सी0 के क्लोज-04.12.3 के नोटशीट के अनुसार प्राविधानित है।

अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था:-नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया-2005 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्थाएँ पूर्ण की जानी अनिवार्य है।

1-भूमिगत टैंक:-भूमिगत टैंक-प्रत्येक ब्लॉक में 75000 लीटर क्षमता का मानचित्र में प्राविधानित किया गया है।

2-पम्प:-अण्डर ग्राउन्ड टैंक के पास मेन पम्प प्रत्येक ब्लॉक में 1620 एल0पी0एम0 क्षमता का विद्युत चालित पम्प, डीजल चालित पम्प 1620 एल0पी0एम0 क्षमता, जौकी पम्प 180 एल0पी0एम0 क्षमता का प्राविधानित है।

3-होजरील:-प्रस्तावित भवन में होजरील लैण्डिंग वाल आई0एस0-3844 मानकों के अनुसार प्रत्येक ब्लॉक के प्रत्येक तल पर प्रस्तावित है।

4-वेटराइजर:-प्रस्तावित भवन के मानचित्र में एन0बी0सी0-2005 के मानकों के अनुसार प्रत्येक ब्लॉक के प्रत्येक तल पर 02-02 वेटराइजर/डाउनकमर सिस्टम प्रस्तावित है।

5-प्रस्तावित सम्पूर्ण भवन परिसर में यार्ड हाईड्रेन्ट होज केबिनट एवं डिलीवरी होज तथा ब्रान्च पाइप तथा एवं फायर सर्विस इन्लेट का प्राविधान आई0एस0-13039:1991 के अनुसार प्रत्येक ब्लॉक में प्रस्तावित है।

6-हस्त चालित इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम:-मैनुअल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम का प्राविधान प्रत्येक ब्लॉक में एन0बी0सी0 मानकों के अनुसार प्रस्तावित है।

7-स्व: चालित डिडेक्शन एण्ड एलार्म सिस्टम:-भवन में आटोमेटिक डिडेक्शन एण्ड एलार्म सिस्टम एन0बी0सी0 मानकों के अनुसार प्रस्तावित नहीं है।

8-स्व: चालित स्प्रिंकलर सिस्टम:-बेसमेन्ट एरिया में आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम एन0बी0सी0 मानकों के अनुसार प्रस्तावित है।

9-टेरिस टैंक:-प्रस्तावित भवन के प्रत्येक ब्लॉक की टेरिस पर टेरिस टैंक-10,000 लीटर क्षमता का टेरिस टैंक स्थापित कराया जाना प्राविधानित है।

10-टेरिस पम्प:-प्रस्तावित भवन की टेरिस टैंक के पास पर टेरिस पम्प एन0बी0सी0 के अनुसार वाछित नहीं है।

क्रमश:-3 पर

11-प्राथमिक अग्निशमन उपकरण(फायर एक्सटिंग्यूशर):-प्रस्तावित भवन में निर्माण के उपरान्त फायर एक्सटिंग्यूशर आई0एस0-2190 के अनुसार प्राविधान किया जाना है, जो मानकों के अनुरूप 740 ए0बी0सी0 फायर एक्सटिंग्यूशर क्षमता 06 कि0ग्रा0 का प्रस्तावित है।

12-स्मोक एक्सट्रैक्शन सिस्टम:-स्मोक एक्सट्रैक्शन सिस्टम

ए0-फायर चेकडोर, स्मोक चेकडोर की लोकेशन व रेटिंग का 02 घन्टा व भूतल वेसमेन्ट पर प्रस्तावित है।

बी0-सिस्टम की मैक अप एयर हेतु व्यवस्था की गई है-भूतल पर।

सी0-सिस्टम रिजरवायर एवं अनुमानित स्मोक लेयर आदि को आधारित करते हुये एक्सट्रैक्शन सिस्टम का तकनीकी विश्लेषण एन0बी0सी0 मानक के अनुसार प्राविधानित है। 13-प्रेशराईजेशन प्रणाली:-एन0बी0सी0 मानक के अनुसार भूतल पर प्राविधानित है।

14-एग्जिट साईनेज:-सम्पूर्ण भवन में एग्जिट साईनेज प्रस्तावित है।

15-पी0ए0सिस्टम:-पी0ए0सिस्टम की व्यवस्था सम्पूर्ण भवन में प्रस्तावित है।

16-वेसमेन्ट का स्लेप जो सेटबैक में आ रहा है, को 45 टन भार वाहन क्षमता का निर्माण कराया जाय।

17-वेसमेन्ट में 12एअर चेन्जेज प्रतिघन्टा का स्मोक एग्झास्ट एक्प्यूमेन्ट लगाना आवश्यक होगा।

18-भूमि एवं भवन में यदि कोई परिवर्तन होता है तो इसकी सूचना अग्निशमन विभाग को देना तथा अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना निर्माणदायी संस्था का उत्तरदायित्व होगा।

उतः उपरोक्तानुसार श्री/मैसर्स एस्म्रा लाईफ स्पेशस, द्वारा निदेशक, श्री अनूप द्वारा रामगढ़ ताल देवरिया बाईपास रोड गोरखपुर में प्रस्तावित भवन के निर्माण हेतु प्रोवोजिनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण-पत्र इस शर्त के साथ निर्गत किया जाता है कि आवेदक द्वारा भवन/ईकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्रस्तावित प्राविधान भवन नियमावली तथा नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया-2005 में उल्लिखित मानकों के अनुसार करायें जायें, तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थायें मानकों के अनुसार भौतिक रूप से स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर अन्तिम अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जायेगा। अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण-पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

संयुक्त निदेशक(अधिष्ठान)
मुख्यालय फायर सर्विस,

उ0प्र0 लखनऊ।

संयुक्त निदेशक, (अधिष्ठान)
गोधी गली, गोलघर, गोरखपुर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

प्रतिलिपि-

- 1- ✓ मैसर्स-एस्म्रा लाईफ स्पेशस, द्वारा निदेशक, श्री अनूप सराफ व अन्य को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 2- उपनिदेशक फायर सर्विस गोरखपुर, जोन गोरखपुर को सूचनार्थ।
- 3- मुख्य अग्निशमन अधिकारी गोरखपुर को सूचनार्थ।
- 4- अग्निशमन अधिकारी गोरखपुर को सूचनार्थ।